झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) धारा 8(1) में संशोधन।

झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–43, दिनांक–25 जनवरी 2006 द्वारा अधिनियमित झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम–2005 {झारखण्ड अधिनियम 03,2006, यथासंशोधित गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2012, अधिसूचना संख्या–223, दिनांक–03 मई, 2012)} को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्त्तन करने के लिए संशोधन हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–
   1. यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   3. यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) में संशोधन।**

झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम 2005 {झारखण्ड अधिनियम 03,2006, गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित} की धारा 8(1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी :–

इस निमित्त नियमावली की शर्त्तो के अधीन एक गृह रक्षक को चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्त्तव्य पर बुलाया जा सकेगा किन्तु उनकी उम्र 60 (साठ) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यह विधेयक झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक 2016 दिनांक 16 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 16 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 4—50—5—4—2016 ।